

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

विमानन विभाग

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 1990

क्र. एफ. 1-29-83-पैतालीस-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विमानन (भराजपत्रित) सेवा भरती तथा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश विमानन (भराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1990" है।

2. परिभाषाएँ.—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) सेवा के सम्बंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है विमानन संचालक;

(ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा चयनबोर्ड;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भरती के लिये आयोजित की गई प्रतियोगी परीक्षा;

(घ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ङ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का युग्म जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(च) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का युग्म जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(छ) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विमानन, "भराजपत्रित", सेवा।

3. विस्तार तथा लागू होना.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ के समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पदों की मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत में धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भरती किए गए हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भरती किए जाएं।

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.—सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उनसे संलग्न वेतनमान अनुसूची एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे।

परन्तु सरकार, समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी आधार पर या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. भरती का तरीका.—(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा भरती निम्नलिखित तरीकों से की जावेगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार से चयन के अनुसार सीधी भरती द्वारा;

(ख) अनुसूची-चार के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा, जो ऐसी सेवा में, ऐसे पद जैसा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए मूल हैसियत में धारण करते हों।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के उस अनुसूची दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सेवा में किसी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिसे या जिन्हें भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित है, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके और प्रत्येक तरीके से भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति-प्राधिकारी द्वारा, सरकार के परामर्श से, अवधारित की जाएगी।

(4) उपनियम (1) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह (प्रशासकीय विभाग के माध्यम से) सरकार के अनुमोदन के पश्चात् तथा सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट की गई सेवा में भरती के तरीकों से भिन्न, ऐसे तरीकों को अपना सकेगा, जिन्हें वह इस सम्बंध में जारी किये गये प्रादेश द्वारा विहित करे।

7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के बाद ही की जाएगी अन्यथा नहीं।

8. सीधी भरती के लिये पात्रता की शर्तें—ध्यान किए जाने के लिये पात्र होने हेतु अभ्यायी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्—

(एक) आयु (क) उसने परीक्षा/चयन के प्रारम्भ की तारीख की आगामी जनवरी के प्रथम दिन की अनुसूची तीन के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यायी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिकतम आयु सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष की छूट दी जाएगी;

(ग) उन अभ्यायियों के सम्बन्ध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं तो कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तों के अधीन रहते हुए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

(एक) ऐसा अभ्यायी जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यायी जो अस्थायी शासकीय सेवक हो तथा किसी अन्य पद के लिये अवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए यह रिक्तपद आकस्मिकता निधि से वेतनपाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यायी जो छटनी किया गया सरकारी कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण आयु सीमा की 7 वर्ष की अधिकतम सीमा तक की कालावधि भुले हो वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं को योग्य हो कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष अधिक न हो।

स्पष्टीकरण 3.—“शब्द” छटनी किए गये सरकारी कर्मचारी से श्रोतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या संघटक इकाइयों में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

(चार) ऐसे अभ्यायी को जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि इसके परिणाम-स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण—शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से श्रोतक है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रयोगों में से किसी एक प्रयोग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर सेवा करता रहा

या और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व भित्तव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटनी की गई थी या जिसे अधिशिष्ट घोषित कर दिया था।

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो मरदाना अरुद्ध अन्तर्गहन के अधीन नियुक्त किए गये हों,

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें कुशासन भरती किया गया हो, और जिन्हें—

(क) अल्पावधि तक सेवा पूर्ण हो जाने पर,

(ख) शर्तों की शर्तों को पूर्ण कर लेने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) मरदाना सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी।

(चार) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा सिविल) जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन अधिकारी भी आते हैं (जिन्हें उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवामुक्त किया गया हो),

(पांच) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिकित्तियों पर मासिक अधिकतम त्रैमासिक निरंतर कार्य कर लेने के परचाता सेवामुक्त किया गया हो,

(छ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अग्रकृत होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो,

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि वे दस सैनिक बनने योग्य नहीं हैं,

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लगने, घाव आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो।

(नौ) विधवा अभ्यायियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।

(दस) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन उन अभ्यायियों को जो ग्रीन कार्ड धारक हो, अधिकतम आयु सीमा में अधिकतम दो वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ग्यारह) आदिम जाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ग पति/पत्नी की दशा में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

- (3) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के सम्बंध में भी अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

टीप.—ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें ऊपर अनुच्छेद (ग), (एक) और (दो) में उल्लिखित आयु सीमा में रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे, यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन होने के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं। तथापि वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छुट्टी कर दी जाए। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।

- (दो) शैक्षणिक अर्हताएं—अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिये जो अनुसूची-तीन के कालम (5) में दर्शाई गई हैं।

परन्तु—

- (क) बोर्ड, अग्रजादिक मामले में, संचालक की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्हता प्राप्त मान सकेगा, जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो किन्तु जिसने किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा संचालित परीक्षा—ऐसे स्तर से उद्दीर्ण की हो जिसके कारण बोर्ड की राय में उस अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश देना/चयन के लिये विचार किया जाना न्यायोचित हो, और

- (ख) ऐसे अभ्यर्थियों को भी, जो अन्यथा अर्हता प्राप्त हो किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियाँ प्राप्त की हो जो सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हो, बोर्ड के विवेकानुसार परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा।

- (तीस) फीस—अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी/बोर्ड द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हता—अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी सम्बंधों से समर्थन अतिप्राप्त करने का कोई भी प्रयत्न, बोर्ड द्वारा सख्तन के लिए निरर्हता के रूप में माना जा सकेगा।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के सम्बंध में बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा—परीक्षा में प्रवेश/चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अयोग्यता के संबंध में बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसे बोर्ड द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी न किया गया हो।

11. प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती—(1) सेवा में सीधी भरती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों से आयोजित की जाएगी जैसे नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर बोर्ड से परामर्श करके अवधारित करे।

- (2) परीक्षा बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदनों के अनुसार, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर बोर्ड से परामर्श करके जारी करे, संचालित की जाएगी।

- (3) सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत रिक्तियाँ उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी जाएगी, जो क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों।

- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका प्राथमिक क्रम कुछ भी क्यों न हो।

- (5) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें बोर्ड द्वारा प्रकाशन की दक्षता अर्थात् रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, उपनियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

- (6) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो शेष रिक्तियाँ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिये दोबारा पुनः विचारित की जाएगी, यदि पुनः विज्ञापन के पश्चात् भी कोई रिक्तियाँ बिना भरी हुई रह जाएं तो वे सामान्य अभ्यर्थियों में से भरी जाएंगी और अग्रजातवर्ती परीक्षा/चयन के दौरान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्तियाँ आरक्षित रखी जाएंगी, परन्तु, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या (अग्रणीत रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए) विज्ञापित की गई कुल रिक्तियों के पतालीस प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

12. अग्रणी द्वारा सीधी भरती—(1) सेवा में भरती के लिए अग्रणी ऐसे अंतरालों से किया जाएगा जैसे कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर बोर्ड से परामर्श करके अवधारित करे।

- (2) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन बोर्ड द्वारा उसने साक्षात्कार करने के पश्चात् किया जाएगा।

- (3) सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत रिक्तियाँ उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी जो क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों।

- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें उनके नाम नियम 13 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका प्राथमिक क्रम कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें बोर्ड द्वारा प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का सम्बन्ध ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो, उपनियम (3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो शेष रिक्तियां केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए दो बार पुनः विज्ञापित की जाएंगी। यदि पुनः विज्ञापन के पश्चात् भी कोई रिक्तियां बिना भरी हुई रह जाएं तो वे सामान्य अभ्यर्थियों में से भरी जाएंगी और पश्चात्कर्तृ चयन के दौरान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां आरक्षित रखी जाएंगी।

परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित/जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या (अग्रणीत रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए) विज्ञापित की गई कुल रिक्तियों के पैतालोस प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

13. बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.—(1) बोर्ड अपने द्वारा अवधारित किये गये मानकों के अनुसार अर्हित अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में बनाई गई सूची और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं हैं, किन्तु जिन्हें बोर्ड द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्बन्ध ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया है, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रोषित करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित भी की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हैं।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के बाद, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए चयन करने हेतु एक विभागाध्यक्ष पदोन्नति समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे।

(2) समिति सामान्यतः एक वर्ष में अधिक के अन्तरालों में अपनी बैठक करेगी।

(3) ऐसे पदों में जिनमें, अनुसूची-शे में यथा विनिर्दिष्ट पदोन्नति की प्रतिशतता 33-1/3 प्रतिशत या उससे अधिक हो, पदोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से 16 प्रतिशत तथा

20 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन कर्मचारियों के लिये आरक्षित रखी जाएंगी जो नियम 15 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति के लिये पात्र हों।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने के लिये प्रक्रिया सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

15. पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए पात्रता संबंधी शर्तें.—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर, जिनसे कि अनुसूची-चार के कालम (4) यथाविनिर्दिष्ट पदोन्नति की जाना है, कम से कम उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप से हो शामूल रूप में) पूरी कर ली हो तब जो उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार विचारणीय क्षेत्र के भीतर आते हों:

परन्तु आपातकालीन वःभीशन तथा अल्पवर्गालिक सेवा कमीशन के नियुक्त किए गए अधिकारियों की सेवा की संगणना सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस तरीके से की जाएगी जिस तारीख से उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2266/1987-1 (3)-67, दिनांक 21 अक्टूबर, 1967 के अनुसार सेवा में नियुक्त किया गया समझा गया हो:

परन्तु यह और भी कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उससे दूरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमानता देकर प्रवर श्रेणी/पदोन्नति के लिए केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जायेगा कि उसने विहित सेवा की कालावधि पूर्ण कर ली है।

(2) चयन का क्षेत्र सामान्यतः "योग्यता तथा वरिष्ठता" (मेरिट कम सीनियरिटी) के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या के सात गुणों तक और "वरिष्ठता तथा योग्यता" के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या के पांच गुना तक सीमित होगा।

परन्तु यदि इस प्रकार अवधारित किये गये क्षेत्र में, उपयुक्त कर्मचारी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों तो उस क्षेत्र की उस सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा, जिस सीमा तक समिति द्वारा उसके लिये लिखित कारणों का उल्लेख करते हुए आवश्यक समझा जावे।

16. उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना.—(1) समिति में ऐसे व्यक्तियों की जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए पृथक् सूची तैयार करेगी जो उपयुक्त नियम 15 में विहित शर्तें पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए उपयुक्त ठहराया गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाले प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। उक्त सूची में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक और अपेक्षित सूची भी पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये तैयार की जाएगी।

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित करने के लिये किया जाने वाला चयन वरिष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुए भी दृष्टि से उचित तथा उपायुक्तता पर आधारित होगा।

(3) ऐसी सूची तैयार करते समय सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों के नाम अनुसूची-वार के कालम (2) में तथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों पर वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ कर्मचारी को, जो समिति की राय में असाधारण रूप से योग्य तथा उपायुक्त हो, सूची में उससे वरिष्ठ अधिकारी की तुलना में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण.—ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो किन्तु जो सूची की विधिमानीयता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों से ऊपर जिन पर पश्चात-वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं रहेगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।

(5) यदि इस प्रकार के चयन पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सेवा के किसी सदस्य को अतिष्ठित किया जाना प्रस्तावित किया जाए तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के सम्बन्ध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

17. चयन सूची पर नियुक्ति प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया.—नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची समिति द्वारा निम्नलिखित के साथ नियुक्ति प्राधिकारी को अर्पित की जाएगी :—

(1) सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख।

(2) अनुसूची-वार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के समस्त सदस्यों के अभिलेख, जिनको सूची में की गई सिफारिशों के अनुसार अतिष्ठित किया जाता प्रस्तावित हो अनुसूची-वार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के किसी भी सदस्य के प्रस्तावित अधिक्रमण के सम्बन्ध में समिति द्वारा लेखबद्ध किए गए कारण।

18. चयन सूची.—(1) नियुक्ति प्राधिकारी समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों और साथ ही समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तक उसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझा जाए सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की जानकारी समिति को देगा और समिति की टिप्पणी पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात वह ऐसे उपांतरणों, यदि कोई हो, के साथ जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपायुक्त हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची सेवा के सदस्यों की अनुसूची-वार के कालम (2) में उल्लिखित पद से उक्त अनुसूची कालम (3) में उल्लिखित पद पर पदोन्नत करने के लिये चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची सामान्यतः एक वर्ष तक या तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक के नियम 16 के उप नियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधिमानीयता उसके तैयार करने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जायेगी।

(5) परन्तु, चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से उसके आचरण या कर्तव्यों के अनुपालन में गंभीर चूक होने की दशा में चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर किया जा सकेगा और यदि विभागीय पदोन्नति समिति उचित समझे तो चयन सूची में से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगी।

19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की नियुक्तियां सेवा संवर्ग के अन्तर्गत आने वाले पदों पर उसी क्रम से की जाएगी जिस क्रम से ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में हों।

परन्तु जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित न हो या जो चयन सूची में अगले क्रम में न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि व्यक्ति में तीन मास से अधिक समय तक लागू रहने की संभावना नहीं है।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व सनिति से परीक्षण करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा उस सेवा में उसकी प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में कोई ऐसी गिरावट न आई हो जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी हो जिसके कारण वह सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपायुक्त हो गया हो।

20. परिवीक्षा.—सेवा में सीधी भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

21. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न अद्भुत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

22. छूट.—इन नियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसे यह नियम लागू होते हों, ऐसी रीति में कार्यवाही करने की, जो उसे न्यायसंगत और साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है।

परन्तु किसी मामले को ऐसी रीति से निपटाया नहीं जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

(1)

(1) क

23. **ध्यावृत्ति**—इन् नियमों में की गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, इस सम्बंध में जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत उपबंधित किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य विधायता को प्रभावित नहीं करेगा।

होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरस्त नियमों के अधीन किये गए किसी आदेश या की गई कोई कार्रवाई के सम्बंध में यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरुण भटनागर, सचिव।

अनुसूची—एक

(नियम 8 देखिये)

विमान सेवा में सम्मिलित पदों के नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतनमान रुपये

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

विमान यांत्रिकी सेवा

1 सीनियर मैकेनिक

3

तृतीय श्रेणी अलिपिकीय

1400-40-1440-50-2340-60-2640.

2 रेडियो मैकेनिक

1

तदेव

तदेव

3 इलेक्ट्रिशियन

1

तदेव

तदेव

लिपिकीय सेवा

1 कनिष्ठ सेवा अधिकारी

1

तृतीय कार्यपालक

1600-50-2300-60-2720

2 मुख्य लिपिक (हेडक्लर्क)

1

लिपिकीय

1320-40-1440-50-2040

3 स्टोर कीपर

1

तदेव

1200-40-1440-50-2040

4 निम्न श्रेणी लिपिक/टायपिस्ट/सहायक स्टोर कीपर/फ्लाइंट क्लर्क

5

तदेव

950-25-1000-30-1210-40-1530.

5 स्टेनो टायपिस्ट

1

तदेव

950-25-1000-30-1210-40-1530 रुपये-75 प्रतिमाह विशेष वेतन.

अनुसूची—बी.

(नियम 6 देखिये)

विभाग का नाम	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के प्रस्थानी स्थानों तद्वरण द्वारा	तिष्पणी
(1)	(2)	(3)	सीधी भरती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	(6) (7)

प्रतिशत

प्रतिशत

विमान संचालनालय
मध्यप्रदेश.

विमान यांत्रिकी सेवा

(1) सीनियर मैकेनिक

3

60%

40%

(2) रेडियो मैकेनिक

1

100%

(3) इलेक्ट्रिशियन

1

100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		लिपिकीय सेवा	प्रतिशत	प्रतिशत		
(1)	कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यपालिक)	1	..	..	100 प्र. श. संचालनालय कोप एवं लेखा से प्रतिनियुक्त पर.	
(2)	मुख्य लिपिक	1	..	100%		
(3)	स्टोर कीपर	1	..	100%		
(4)	निम्न श्रेणी लिपिक/ टायपिस्ट/सहायक स्टोर कीपर/फ्लाइंट क्लर्क	9	85%	15%	उन विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंड्री या 10+ 2 शिक्षा पद्धति के अधीन हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों.	
(5)	स्टेनो टायपिस्ट	1	100%	..		

अनुसूची—तीन

(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

विमानन संचालनालय	संधारण संवर्ग	वर्ष	वर्ष		
(1)	सीनियर मैकेनिक	21	35	(अ)	माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से 10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन हाईस्कूल/हायर सेकेंड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.
(2)	रेडियो मैकेनिक	21	35	(ब)	पद से सम्बद्ध विषय में उत्तीर्ण होने का किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र होना चाहिये.
(3)	इलेक्ट्रीशियन	21	35	(स)	विभिन्न प्रकार के विमानों पर दस वर्ष का व्यवहारिक अनुभव.

लिपिकीय संवर्ग

(1)	निम्न श्रेणी लिपिक/ टायपिस्ट/सहायक स्टोर कीपर/फ्लाइंट क्लर्क	18	30	माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश से या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से हायर सेकेंड्री परीक्षा या 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हाई- स्कूल या उसके समकक्ष कोई अन्य.
-----	--	----	----	--

ए किसी आदेश
आवेदना कि
कक्षा गया है

नुसार,
अवर, सचिव.

—80—

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये और मध्य-
प्रदेश शीघ्रलेखन तथा मृदुलेखन परीक्षा (1)
बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्राप्त
किसी अन्य संस्था से हिन्दी मृदुलेखन
परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये (2)
और हिन्दी शीघ्रलेखन में 60
शब्द प्रति मिनट की गति का ज्ञान
होना चाहिए.

अनुसूची—चार

(नियम 13 देखिये)

विभाग का नाम उस पद का नाम जिससे पदोन्नति उस पद का नाम जिसपर कालम् 2 में दणिये विभागीय पदोन्नति समिति के
की जानी है. पदोन्नति की जानी है. पद पर सेवा की सदस्यों के नाम
कालावधि

(1) (2) (3) (4) (5)

विभागीय विभाग (1) जूनियर मैकेनिक सॉनियर मैकेनिक 5 वर्ष 1. चीफ इंजीनियर-अध्यक्ष.
(2) (3) (4) 2. डिप्टी चीफ इंजीनियर-सदस्य/
रेडियो इंजीनियर-सदस्य.

3. प्रशासकीय अधिकारी-सदस्य

(2) सहायक स्टोर कीपर स्टोर कीपर 5 वर्ष ---तदैव---

(3) निम्न श्रेणी लिपिक/ मुख्य लिपिक 5 वर्ष ---तदैव---

टायपिस्ट/फ्लाइंग क्लर्क

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण भटनागर, सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 1990

क्र. 1-29-83-पैतालीस.---भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-29-83
पैतालीस, दिनांक 11 अक्टूबर 1990 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण भटनागर, सचिव.

(6)

Bhopal, the 11th October 1990

No. F-1-29-83-XLV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of the Madhya Pradesh Aviation (Non-Gazetted) Service namely :—

1. **Short title**—These rules may be called the "Madhya Pradesh Aviation (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 1990".

2. **Definition**—In these rules, unless the context otherwise requires;—

- (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Director of Aviation;
- (b) "Board" means the Madhya Pradesh Junior Service Selection Board;
- (c) "Examination" means competitive Examination for recruitment to the Service to be held under Rule 11 of these rules;
- (d) "Schedule" means a schedule appended to these rules;
- (e) "Schedule Caste" means any caste race or tribe or part of or group within a caste race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (f) "Schedule Tribes" means any time or part of group within a caste or tribe specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the constitution of India.
- (g) "Service" means the Madhya Pradesh Aviation (Non-Gazetted Service).

3. **Scope and Application**.—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service General Conditions of Service Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service**.—The Service shall consist of the following persons namely;—

- (1) Persons, who at the time of commencement of these rules, are holding substantively or in officiating capacity the posts specified in Schedule-I;
- (2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
- (3) Persons recruited to the service in accordance with the provision of these rules.

5. **Classification, Scale or Pay etc.**—The classification and the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule-I.

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Methods of recruitment**—(1) Recruitment to the service after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:—

- (a) by direct recruitment by selection by competitive examination or interviews;
- (b) by promotion of the members of the service as specified in column (2) of Schedule-IV;
- (c) by transfer of person who hold in a substantive capacity such posts in such service as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage shown in schedule-II of the number of duty posts as specified in schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the Service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the Service so require, it may (through the Administrative Department) after approval of the Government and with prior concurrence of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to the Service**.—All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions or eligibility for direct recruitment**—In order to be eligible to be selected a candidate must satisfy the following conditions namely:—

- (1) **Age** : (a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and not obtained the age specified in column (4) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selection.

र नम्य-

परिषद्

यता शप्त

वर्ष

60

न मान

त समिति क
राम

कमल

नर-हरस्य/

नरस्य

नरस्य

नृत्तार

नर, हविद.

1-29-83

नृत्तार

नर, हविद.

(b) The upper age limit shall be relaxed upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to Scheduled Caste or a Scheduled Tribe ;

(c) The upper age limit shall also be relaxed in respect of candidates who are or have been employees in the 'Madhya Pradesh' Government to the extent and subject to the condition specified below :—

(i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 38 years of age ;

(ii) A candidate who is temporary Government Servant and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in project implementing committees ;

(iii) A candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age, the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "retrenched Government servants" denotes a person who was in temporary Government service of the State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged, because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service ;

(iv) A candidate who is an Ex-servicemen shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "Ex-servicemen" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who retrenched surplus as a result of the recommendation of the economic unit or due to normal reduction in the Establishment, not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government services :—

(i) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on released under mustering and concessions ;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on :—

(a) Completion of short term engagement.

(b) fulfilling the conditions of enrolment.

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit ;

(iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers) ;

(v) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies ;

(vi) Ex-servicemen invalidated out of service ;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers ;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot wounds etc ;

(d) The upper age limit for widow candidates shall be 35 years ;

(e) The upper age limit shall be relaxed upto a maximum of 2 years for those candidates who are holding green cards under the Family planning welfare Programme ;

(f) The upper age limit shall be relaxed upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-Caste Marriage incentive programme of the Tribal, Harijan and Backward-classes Welfare Department ;

(g) The upper age limit shall also be relaxed upto five years in respect of the "Vikram Award" holders candidate ;

Note.—Candidates who are admitted to the examination / selection under the age concessions mentioned in sub-clause (c) (i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after examination/selection. They shall however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the selection.

(II) Educational qualifications.—The candidate must possess the educational qualifications

qualifications prescribed for the service as shown in column (5) of Schedule III.

provided that;—

(a) In exceptional cases, the Board may, on the recommendation of the Director, treat as qualified a candidate, who, though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed the examinations conducted by other Universities/Institutions by a standard, which, in the opinion of the Board justifies the consideration of the candidate for appearing in the examination/selection; and

(b) Candidates, who are otherwise qualified but have taken degree from foreign universities being universities not specifically recognised by the Government may also be considered for appearing in the examination at the discretion of the Board.

(III) **Fees.**—The candidates must pay the fees prescribed by the Appointing Authority/Board.

9. **Disqualifications.**—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, may be held by the Board to disqualification to the selection.

10. **Board's decision about the eligibility of candidate shall be final.**—The decision of the Board as to the eligibility or otherwise of the candidate for admission to examination/selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued shall be allowed to appear in examination/interview.

11. **Direct Recruitment by Competitive examination.**—(1) A competitive examination for direct recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority, may, in consultation with the Board, from time to time, determine.

(2) The examination shall be conducted by the Board in accordance with such orders as the Appointing Authority may from time to time issue in consultation with the Board.

(3) 16 percent and 20 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates, who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, shall be considered for appointment in order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes recommended by the Board for appointment to the service, with due regard

to maintenance of the efficiency of Administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, under sub-rule (3).

(6) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be re-advertised twice exclusively for these candidates, if even after re-advertisement any vacancies remain unfilled they shall be filled from among the general candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as the case may be, during the subsequent examination/selection.

Provided that the total number of vacancies reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including the vacancies carried forward) shall not at any time exceed 45 percent of the total vacancies advertised.

12. **Direct recruitment by selection.**—(1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation with the Board from time to time, determine.

(2) The selection of candidates for the service shall be made by the Board after interviewing them.

(3) 16 percent and 20 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively.

(4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 13 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, selected by the Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be under sub-rule (3).

(6) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be re-advertised, twice exclusively for these candidates; if even after re-advertisement, any vacancies remain unfilled, they shall be filled from among the general candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes, as the case may be during the subsequent selection.

Provided that the total number of vacancies reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (including the vacancies carried forward) shall not at any time exceed 45 per cent. of the total vacancies advertised.

13. List of candidates recommended by the Board.—(1) The Board shall forward to the Appointing Authority a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standard as determined by the Board and of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who though not qualified by that standard yet are declared by the Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

14. Appointment by Promotion.—(1) There shall be constituted a Departmental Promotion Committee consisting of the members mentioned in Schedule IV for making preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) 16 per cent. and 20 per cent. of the vacancies available for promotion in which the percentage of promotion is 33½ or more as specified in Schedule II, shall be reserved for the employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively who are eligible for promotion in accordance with the provisions of rule 15.

(4) Procedure for making promotion to the vacancies reserved shall be in accordance with the instructions issued by the Government in the General Administration Department from time to time.

15. Condition for eligibility by for promotion/transfer.—(1) Subject to the provision of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all persons, who on the 1st day of January of that year had completed not less than such number of year of service (whether officiating or substantive) in the posts from which promotion is to be made as specified in column (4) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Provided that the services of the released officers or the Emergency Commission and Short Service Commission, after their appointment in the service, shall be counted from the date from which they have been deemed to have been appointed in the service in accordance with the General Administration Department Memo No. 2266/1987/1(3)/67, dated the 21st October, 1987.

Provided further that any junior person shall not be considered for selection-grade/promotion in preference to the person senior to him only on the basis of this completing the prescribed service.

(2) The field of selection shall ordinarily be limited to seven times the number of officers to be included in the select list, in respect of posts to be filled on the basis of merit-cum-seniority and five times the number of officers to be included in the select list in respect of posts filled on the basis of seniority-cum-merit;

Provided that if the required number of suitable employees are not available in the field, so determined, the field may be enlarged to the

भाग 4 (ग)
extent consid
mentioned

16. Prep

(1) The o
for perso
and Sch
the cond
as are
for prom
shall b
vacancie
during
d-te
reserve
of p
be
occu
peri

(

s

c

s

c

s

c

s

c

s

c

s

c

s

c

s

c

s

c

s

c

s

c

s

c

s

c

s

c

extent considered necessary by the committee, by mentioning the reason in writing.

16. Preparation of list of suitable persons. —

(1) The committee shall prepare a separate list for persons belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes and other persons satisfying the condition prescribed in rule 15, above and as are held by the committee to be suitable for promotion/transfer to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25 per cent. of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects, with due regard to seniority.

(3) The names of the officers included in the list shall be arranged in order to seniority in the service or posts, as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of such select list.

Provided that any junior employee, who in the opinion of the committee is of exceptional merit and suitability, may be assigned in the list a higher place than that of officers senior to him.

Explanation.—A person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) A list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection review or revision it is proposed to supersede any number of the service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

17. Procedure regarding obtaining approval of the Appointing Authority on the select list. —

The list prepared in accordance with rule 16, shall then be forwarded by the committee to the Appointing Authority along with

(1) The records of all persons included in the list.

(2) The records of all members of the service specified in column (2) of Schedule IV who are proposed to be superseded by the recommendations made in the list.

(3) The reasons as recorded by the committee for the proposed supersession of any member of the service as specified in column (2) of Schedule IV.

18. Select list. —

(1) The Appointing Authority shall consider the list prepared by the committee along with other documents received from the committee and unless he considers any change necessary approve the list.

(2) If the Appointing Authority considers it necessary to make any change in the list received from the committee, he shall inform the committee of the changes proposed and after taking into account of the comments, if any, of the committee, may approve the list finally with such modifications, if any, as may in his opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Appointing Authority shall form the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) Schedule IV to the posts mentioned in column (3) of the said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily be in force for one year or until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 16 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation.

Provided that in the event of a grave lapse in conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Departmental Promotion Committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

19. Appointment in the service from the select list. —

(1) Appointments of the employees included in the select list on the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such employees appear in the select list.

Provided that where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the select list or who is not next in order in the select list, may be appointed to the service if the Appointing Authority is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

SCHEDULE-II

(See Rule 6)

Name of the Service	Name of the post	Total	Percentage of posts to be filled		By temporary transfer of the persons from other service	Remarks
(1)	(2)	(3)	By Direct recruit-ment	By Promotion of the members of the service	(6)	(7)
Directorate of Aviation	Aviation Engineering Service.					
	(1) Senior Mechanic	3	60 %	40 %		
	(2) Radio Mechanic	1	100 %			
	(3) Electrician	1	100 %			
	Ministerial service					
	(1) Junior Accounts Officer	1			100 on Deputation from the Directorate of Treasury and Accounts.	
	(2) Head Clerk	1		100 %		
	(3) Store Keeper	1		100 %		
	(4) Lower Division Clerk/Typist/Assistant Store Keeper/Flight Clerk	5	85 %	15 %	For Departmental Class IV employees, who have passed Higher Secondary (High-School (under 10+2 Education System) from Board of Secondary Education, M.P. or any recognised Board and who have completed five years of regular service.	
	(5) Steno-Typist	1	100 %			

SCHEDULE-III

(See Rule 8)

Name of Department	Name of Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Directorate of Aviation	Maintenance Cadre				
(1)	Senior Mechanic	21 years	35 years	(A) Should have passed the High School (under 10+2 Education System)/Higher Secondary Examination from the Board of Secondary Education, M.P. or from any other Board recognised by the Government.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(2) Radio Mechanic	21 years	35 years	(B)	Should possess a certificate of passing the concerned subject of the posts from any recognised Industrial Training Institution.
	(3) Electrician	21 years	35 years	(C)	At least 10 years practical experience of working on various types of aeroplanes.
	Ministerial Cadre				
	(1) Lower Division Clerk/Typist/Assistant Store Keeper/Flight clerk(s)	18 years	30 years		Should have passed the High School (Under 10+2 Educational System)/ Higher Secondary Examination or any other Examination Equivalent thereto from the Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or from any other Institute recognised by the Government and should have passed Hindi Type writing Examination from the Board of Hindi Type writing and Short-hand Examination, Madhya Pradesh or from any other recognised Institution.
	(2) Stereo-Typist	18 years	30 years		Should have passed the High School (Under 10+2 Educational System)/ Higher Secondary Examination or any other Examination Equivalent thereto from the Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or from any other Institute recognised by the Government and should have passed Hindi Type writing Examination from the Board of Hindi Type writing and short hand Examination, Madhya Pradesh or from any other recognised Institution and should have knowledge of Hindi short hand along with a speed of 60 words per minute.

SCHEDULE-IV

(See rule 13)

Name of the Department	Name of post from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Period of service in the post shown in column (2)	Name of the member of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aviation Department	1. Junior Mechanic	Senior Mechanic	5 years	1. Chief Engineer
	2. Assistant Store Keeper	Store Keeper	5 years	2. Dy. Chief Eng. Radio Eng.
	3. Lower Division Clerk/Typist/Flight Clerk	Head Clerk	5 years	3. Administrative Officer
				Administrative Officer
				Member
				Member

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN EHATNAGAR, Secy.